राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं०नि० 30–10 / 2025–576
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पश्चिम चम्पारण।

पटना, दिनांक– 12.2.26

विषय:– प्रखण्ड चनपटिया ग्राम पंचायत पश्चिमी तुरहापट्टी के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंग:– आपका पत्रांक 75 दिनांक 07.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से **प्रखण्ड चनपटिया ग्राम पंचायत पश्चिमी तुरहापट्टी के उप मुखिया** का मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के आलोक में **प्रखण्ड चनपटिया ग्राम पंचायत पश्चिमी तुरहापट्टी के उप मुखिया के रिक्त पद पर दिनांक 23.02.2026 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया उप मुखिया के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया के निर्वाचन हेतु दिनांक **19.02.2026** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए एवं इसे आयोग के पोटल पर अपलोड करा दी जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **17.02.2026** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. **कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।**

7. विदित हो कि **प्रखण्ड चनपटिया ग्राम पंचायत पश्चिमी तुरहापट्टी के उप मुखिया** का मृत्यु दिनांक 26.06.2025 **को हो गया जो** लगभग सात माह से अधिक के **समय बाद निर्वाचन हेतु आयोग को उप मुखिया के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः विलम्ब हेतु जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी/कर्मी की पहचान कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त की जाए एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित की जाय।**

8. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
12/2/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक पं०नि० 30–10 / 2025 576 पटना, दिनांक – 12.2.26
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/ सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक पं०नि० 30–10 / 2025– 576 पटना, दिनांक – 12.2.26
प्रतिलिपि : निर्वाचन स्थापना शाखा को पत्र की कंडिका–07 के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/2/26
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।